कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया

पत्रांक/बे०शि०/मान्यता/2783-2786 /2020-21 दिनांक- 10 अगस्त 2020

सेवा में,

प्रबन्धक,

रेनबो एकेडमी,

जिरासों, भागलपुर, देवरिया (प्राथमिक स्तर)

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में, मैं (**रेनबो एकेडमी,जिरासों, भागलपुर, देवरिया**) को प्राथमिक स्तर (कक्षा नर्सरी से कक्षा 05)तक अंग्रेजी माध्यम हेतु दिनांक 10 अगस्त 2020से एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है तत्पश्चात स्थायी मान्यता हेतु नवीन शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अरसठ -3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून 2020 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थायी मान्यता हेतु आवेदन करने पर नियमानुसार स्थायी मान्यता प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूं :-

01. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नही है और नही किसी भी रूप में कक्षा 08 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नही करता है।
02. विद्यालय निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संलग्नक-दो) के उपबन्धों का अक्षरशः पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा एक में कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों/बालिकाओं को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।
04. प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों/बालिकाओं के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तद्नुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
05. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नही करेगा और बालक/बालिका अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नही करेगा।
06. विद्यालय प्रवेश से वंचित नही करेगा-
    (क) बालक/बालिका का आयु प्रमाण पत्र न होने पर।
    (ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
07. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा :-
    (क) किसी विद्यालय के प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक/बालिका को किसी कक्षा में नही रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
    (ख) किसी भी बालक/बालिका को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नही बनाया जायेगा।
    (ग) किसी भी बालक/बालिका से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नही है।
    (घ) प्रत्येक बालक/बालिका को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।
    (ड) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन।
    (च) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है।
    (छ) अध्यापक निजी अध्यापन क्रिया-कलापों के निमित्त स्वयं को नही लगायेगा।
08. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
09. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है
10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नही चलाई जायेगी।

11. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम –1860 (अधिनियम संख्या–21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तद्समय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।

12. विद्यालय किसी व्यक्ति समूह, या व्यष्टि संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नही किया जायेगा।

13. लेखाओं का संपरीक्षण और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाना होगा।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या 08 है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्यांक का उद्धत करने का कष्ट करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16. समिति के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।

17 विद्यालय प्रबन्ध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18. यह विद्यालय/संस्था स्व वित्तपोषित है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नही किया जायेगा।

19. मान्यता प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों में किसी भी तरह का तथ्य गोपन किसी भी समय प्रकाश में आता है तो बिना कोई औपचारिकता पूर्ण किये दी गयी मान्यता वापस करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

(प्रकाश नारायन श्रीवास्तव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया

पृ०सं०/ व०लि०/मान्यता/ /2019–20 दिनांक–यही।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्प संख्यक/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, देवरिया।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र– भागलपुर, देवरिया।
3. कार्यालय गार्ड फाईल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया

पत्रांक/क0लि0/मान्यता/ —1937-1940. /2020-21 दिनांक– 20 जुलाई 2020

सेवा में,

प्रबन्धक,

रेनबो एकेडमी, जिरासो,

भागलपुर, देवरिया (कक्षा 06 से 08 तक)

विषय:– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में, मै (रेनबो एकेडमी, जिरासों,भागलपुर, देवरिया) को जूनियर स्तर (कक्षा 06 से कक्षा 08) तक अंग्रेजी माध्यम हेतु दिनांक 20 जुलाई 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है तत्पश्चात स्थायी मान्यता हेतु नवीन शासनादेश संख्या 89/अरसठ–3–2018 –2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थायी मान्यता हेतु आवेदन करने पर नियमानुसार स्थायी मान्यता प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ :–

01. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नही है और नही किसी भी रूप में कक्षा 08 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नही करता है।
02. विद्यालय निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संलग्नक–दो) के उपबन्धों का अक्षरशः पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा एक में कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों/बालिकाओं को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।
04. प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों/बालिकाओं के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
05. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नही करेगा और बालक/बालिका अथवा उसके माता–पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नही करेगा।
06. विद्यालय प्रवेश से वंचित नही करेगा–
    (क) बालक/बालिका का आयु प्रमाण पत्र न होने पर।
    (ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
07. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा :–
    (क) किसी विद्यालय के प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक/बालिका को किसी कक्षा में नही रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
    (ख) किसी भी बालक/बालिका को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नही बनाया जायेगा।
    (ग) किसी भी बालक/बालिका से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नही है।
    (घ) प्रत्येक बालक/बालिका को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।
    (ङ) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन।
    (च) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है।
    (छ) अध्यापक निजी अध्यापन क्रिया–कलापों के निमित्त स्वयं को नही लगायेगा।
08. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
09. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नही चलाई जायेंगी।

11. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम –1860 (अधिनियम संख्या–21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तद्समय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।
12. विद्यालय किसी व्यक्ति समूह, या व्यष्टि संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नही किया जायेगा।
13. लेखाओं का संपरीक्षण और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाना होगा।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या 02 है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्यांक का उद्धत करने का कष्ट करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. समिति के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।
17. विद्यालय प्रबन्ध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
18. यह विद्यालय/संस्था स्व वित्तपोषित है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नही किया जायेगा।
19. मान्यता प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों में किसी भी तरह का तथ्य गोपन किसी भी समय प्रकाश में आता है तो बिना कोई औपचारिकता पूर्ण किये दी गयी मान्यता वापस करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

(प्रकाश नारायन श्रीवास्तव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया

पृ0सं0/ ब0लि0/मान्यता/ /2019–20 दिनांक:–वही।
प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्प संख्यक/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, देवरिया।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र– भागलपुर देवरिया।
3. कार्यालय गार्ड फाईल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया